उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 527/2021

दिनांक /Date.: 19.08.2021

संवाद–148

विषयः– अभ्यर्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 शीट में अपनी बुकलेट सीरीज न भरे जाने के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्राचार व ईमेल के माध्यम से अभ्यर्थियों से यह अनुरोध प्राप्त हो रहे है कि "उनके द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2021 को आयोजित सहायक अध्यापक(एल0टी0) परीक्षा में वे अपना बुकलेट सीरीज भरना व उसका गोला बनाना भूल गये है व अभ्यर्थियों द्वारा अपनी इस गलती को सही करने का अनुरोध आयोग से किया जा रहा है"। इस संबंध में अवगत कराना है कि ऐसी त्रुटियों का निराकरण आयोग स्तर पर सम्भव नहीं हो पाता है।

आप सभी अवगत हैं कि ऑफलाइन परीक्षायें OMR आधारित है। OMR का अर्थ है Optical mark reader तकनीक अर्थात जो भी गोला आप OMR शीट पर प्रश्नोत्तर या अन्य सूचना भरने के लिए बनाते हैं उसे OMR स्केनर स्कैन करता है या पढ़ता है व इसके हिसाब से कम्प्यूटर में OMR शीट का स्वतः मूल्यांकन होता है।

मूल्यांकन के लिए प्रश्न पुस्तिका सीरीज न भरने के कारण सॉफ्टवेयर संबंधित उत्तरकुंजी से उसका मिलान नहीं कर पाता व इस प्रकार अभ्यर्थी का मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता। इसका यह अर्थ है कि मूल्यांकन के लिए प्रश्न पुस्तिका की सीरीज का गोला बनाना होगा तभी स्केनर उसका मिलान कर मूल्यांकन करेगा। इस समस्त प्रकिया में अत्यंत सावधानी से व साफ सुथरे अक्षरों व गोलों का बनना आवश्यक है। कृपया सभी अभ्यर्थी इसे ध्यान रखें अन्यथा काफी मेहनत करने के बाद भी आपकों चयन प्रकिया से वंचित होना पड़ सकता है। OMR शीट में इसके लिए निम्न निर्देश भी दिये गये हैं इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े व अनुपालन करें :–

"इस ओ0एम0आर0 पत्रक में समस्त आवश्यक सूचनाएं अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं भरी जायेंगी। ओ0एम0आर0 पत्रक में त्रुटिपूर्ण अंकन करने अथवा अंकन न करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। ओ0एम0आर0 पत्रक में दूसरे अभ्यर्थी के अनुकमांक लिखने अथवा फ्लयूड का प्रयोग करने अथवा पुस्तिका सीरीज में वृत्त नहीं भरने अथवा पुस्तिका सीरीज पर एक से अधिक वृत्त भरने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा में शून्य अंक प्रदान किये जायेंगे।"

परीक्षा के बाद OMR में छेड़छाड़ एक गंभीर मामला है जो परीक्षा की शुचिता के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है और इसी कारण आयोग ऐसी किसी भी त्रुटि के सुधार की अनुमति नहीं दे सकता। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके ऐसे अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में भी **"संवाद–91"** जारी कर आयोग वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ प्रकाशित किया गया है। अभ्यर्थी कृपया **"संवाद–91"** को ध्यानपूर्वक पढ़े व अनुपालन करें।

आयोग की ओर से,

19/8/

(संतोष बडोनी)

सचिव।

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com